भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4303
उत्तर देने की तारीख- 19/08/2025

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग छात्र संस्थान

4303. श्री भोजराज नाग:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कोई राष्ट्रीय संस्थान संचालित किया जा रहा है;

(ख) क्या इन संस्थानों में दृष्टि दिव्यांग बालक-बालिकाओं की शिक्षा, पुनर्वास और कौशल विकास के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दृष्टि दिव्यांग बालक-बालिकाओं के शैक्षिक विकास और उत्थान के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने दृष्टि दिव्यांग बालक-बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): इस विभाग के अंतर्गत नौ राष्ट्रीय संस्थान हैं जो देश भर में दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करते हैं। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ राज्य में इस विभाग के अंतर्गत कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। हालाँकि, विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के तहत एक विस्तारित भाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए एक समेकित क्षेत्रीय केंद्र राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है।

(ख) से (घ): विभाग अपने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून के माध्यम से भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाता है, जिसमें एम.एड. (वीआई); बी.एड. (वीआई) और (डीबी); एवं डी.एड. (वीआई) तथा साथ ही एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान), एम.फिल. (नैदानिक मनोविज्ञान), एम.एससी. एकीकृत अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, और पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जैसे मनोविज्ञान पाठ्यक्रम शामिल हैं। संस्थान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के

कौशल, स्वावलंबन और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर संचालन, ब्रेल आशुलिपि एवं अनुसचिवीय सहायता (अंग्रेजी और हिंदी), सहायक प्रौद्योगिकी, संगीत, समायोजन, बागवानी, रिफ्लेक्सोलॉजी और रेडियो जॉकी जैसे व्यवसायों में व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है।

एनआईईपीवीडी, देहरादून दृष्टिबाधित बालक और बालिकाओं के लिए सीबीएसई से संबद्ध एक मॉडल स्कूल चलाता है। एनआईईपीवीडी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और कक्षा 1 की तैयारी के लिए एनईपी 2020 के अनुरूप बालवाटिका कक्षाएं भी चलाता है। संस्थान ने दिव्यांग बच्चों और युवाओं में सुगम साहित्य और पठन आदतों को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला समावेशी और व्यापक डिज़ाइन-आधारित एनबीटी आउटलेट भी स्थापित किया है।

यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत राज्य का विषय है, फिर भी, यह विभाग अपनी प्रमुख पहलों और योजनाओं के माध्यम से दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं के उत्थान तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सहित शैक्षिक प्रयासों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

(i) 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)' के अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है, जिससे देश भर में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके और दिव्यांगजनों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षा को सुगम बनाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एडिप-एसएसए (समग्र शिक्षा अभियान) के प्रावधान के तहत दृष्टिबाधित व्यक्तियों सहित स्कूल जाने वाले बच्चों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए जाते हैं।

(ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत स्वैच्छिक संगठनों/राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को (i) जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) की स्थापना और (ii) दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें अपने इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

(iii) विभाग छः घटकों वाली एक व्यापक योजना 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना और दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सक्षम बनाना है। पूरे भारत में छात्रों के बैंक खातों में सीधे (डीबीटी मोड) के माध्यम से निधियां संवितरित की जाती है।

(iv) विभाग दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं सहित 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का कार्यान्वयन करता है।

****